न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः— श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 109/2021

वादीया	बनाम	प्रतिवादीगण
1. नतकी देवी पत्नी सोनाराम जाति घांची निवासी घांचीयो की गली, रूपावास तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान।		1 पिस्ता देवी पत्नी सुकराराम जाति घांची निवासी रूपावास तहसील सोजत 2 तहसीलदार (भूमिधारक) सोजत

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितिः—

1. श्री कैलाश दवे अधिवक्ता वादीगण उपस्थित।
2. तहसीलदार सोजत स्वयं उपस्थित।

दिनांक : — 04/10/2023

—: निर्णय :—

अधिवक्ता मय वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा वीरावास पटवार हल्का हिंगावास तहसील सोजत में खाता संख्या 94 खसरा नंबर 277 रकबा 0.8900 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल की कृषि भूमि वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 की संयुक्त सामलाती खातेदारी कब्जा काश्त की स्थित है। उक्त कृषि भूमि में वादीया का 1/2 हक हिस्सा निहित है तथा प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हक हिस्सा निहित है। उक्त वर्णित कृषि भूमि का राजस्व ट्रैस नक्शा अनुसार नजरी नक्शा परिशिष्ट ''क'' बनाया है, जिसमें अ, ब, स, द से दर्शित भू भाग वादीया के हक एवं कब्जा का है तथा मार्क य, र, ल, व प्रतिवादी संख्या 01 के हक हिस्से की भूमि है। जो नजरी नक्शा वाद पत्र का आवश्यक भाग व अंग है। उक्त वर्णित सम्पूर्ण कृषि भूमि को वाद पत्र में वादस्थ कृषि भूमि के नाम से सम्बोधित किया जावेगा। वाद पत्र के पद संख्या 1 में वर्णित वादस्थ आराजीयात की कृषि भूमि वादीया एवं प्रतिवाद संख्या 1 की संयुक्त सामलाती खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि स्थित है। जिस कृषि भूमि का आज दिनांक तक राजस्व रेकर्ड में वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य विधिक बंटवाड़ा नहीं हो रखा है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य अविभाजित कृषि भूमि है तथा वादस्थ भूमि में वादीया का अपने 1/2 हक हिस्से पर माफिक नजरी नक्शा परिशिष्ट ''क'' अनुसार मार्क अ, ब, स, द भू भाग पर कब्जा काश्त, उपयोग, उपभोग चला आया है तथा आज भी मौके पर काबिज काश्त है। प्रतिवादी संख्या 1 वादस्थ कृषि भूमि में मौके पर वादीया के हक हिस्से में आयी कृषि भूमि के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में दखल अन्दाजी, बाधा अड़चन कारित करने पर उतारू है। प्रतिवादी संख्या 01 व उसके परिवारजन को वादीया के हक हिस्से एवं कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में दखल अन्दाजी करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। वादस्थ कृषि भूमि में वादीया द्वारा अपने 1/2 हक हिस्से मार्क अ, ब, स, द, पर लाखों रूपये विनियोजित कर उपजाऊ योग्य बनाया हुआ है लेकिन प्रतिवादी संख्या 01 व उनके परिवारजन की नियत खराब हो चुकी है व वादीया के मौके पर कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में दखल अन्दाजी कर वादीया के कब्जा में अनावश्यक हस्तक्षेप करने पर आमादा है तथा वादस्थ कृषि भूमि का बिना वैध विभाजन करवाये वादस्थ कृषि भूमि को अन्यत्र व्यक्ति को बेचान, हस्तान्तरण, अन्तरण करने का आमादा है। बिना विधिक बंटवाड़ा के अभाव में वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य कब्जे काश्त सीमाओं को लेकर मौके पर भारी विवाद उत्पन्न होते रहते है जबकि मौके पर वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 01 माफिक मौखिक बंटवाड़े अनुसार अपने अपने हक हिस्से पर काबिज काश्त होकर उपयोग करते आ रहे है। वादीया द्वारा दिनांक 30.08.2021 को वादीया

उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली

वादस्थ कृषि भूमि में अपने हक हिस्से माफिक नजरी नक्शा अनुसार मार्क अ, ब, स, द पर मौके पर गयी तो आगे मौके पर प्रतिवादी संख्या 01 व उनके परिवारजन मौके पर मिले जिसने मौके पर ही वादीया के हक हिस्से की भूमि पर कब्जा काश्त उपयोग उपभोग नहीं करने की ऐलानिया धमकियां देने लगे जिस पर वादीया द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 को ऐसा कृत्य नहीं करने का निवेदन किया लेकिन प्रतिवादी संख्या 01 नहीं माने तथा ऐलानियां कहने लगे कि हम तो तुम्हारे हक हिस्से पर उपयोग उपभोग काश्त नहीं करने देगे जिस पर वादीया द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 को वादस्थ कृषि भूमि का दर्ज हक हिस्से एवं कब्जा अनुसार आपसी सहमति से तहसील कार्यालय चलकर वैध बंटवाड़ा करवाने का निवेदन किया जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 ने वैध बंटवाड़ा करने से साफ इंकार कर दिया। इसलिये वादीया वादस्थ कृषि भूमि में अपने 1/2 हक हिस्से का प्रतिवादी संख्या 1 से विधिक बंटवाड़ा करवाने का अधिकारी है साथ ही प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा किये गये विधि विरूद्ध कृत्य को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा रूकवाने का अधिकारी है। बिनायदावा वादस्थ कृषि भूमि वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 की राजस्व रेकर्ड में संयुक्त एवं सामलाती भूमि होने से एवं वादीया द्वारा दिनांक 30.08.2021 को वादस्थ भूमि में मार्क अ, ब, स, द हक हिस्से की सार संभाल हेतु जाने पर प्रतिवादी संख्या 01 व उनके परिवारजन द्वारा वादीया को कब्जा काश्त उपयोग उपभोग नहीं करने की ऐलानियां धमकियां देने पर तथा वादीया द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 को उसी रोज आपसी सहमति से तहसील कार्यालय चलकर हक हिस्से एवं कब्जा अनुसार बंटवाडा करवाने का निवेदन करने पर साफ इंकार हो जाने से वाद कारण बमुकाम ग्राम वीरावास तहसील सोजत उत्पन्न हुआ। इस प्रकार वाद पत्र पेश कर सरहद मौजा वीरावास पटवार हल्का हिंगावास तहसील सोजत के खाता संख्या 94 खसरा नंबर 277 रकबा 0.8900 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल की भूमि वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 01 की संयुक्त खातेदारी में वादीया का 1/2 हक हिस्से का विधिक बंटवाड़ा कर राजस्व रेकर्ड में अलग से तरमीम, व लगान मुकर्र किया जाने तथा स्थायी निषेधाज्ञा जारी करने की ईश्तदुआ की है।

इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन वास्ते ज0दा0 तलब किये गये। प्रतिवादी संख्या 01 की तामिल रिपोर्ट डाक विभाग से तस्दीक के साथ पेश होने तथा बावजूद तामिली /सूचना बार बार आवाजे लगाने पर भी अनुपस्थित रहने से दिनांक 15.09.2022 को इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। अधिवक्ता वादी ने प्रा0 डिक्री जारी करने का निवेदन किया। प्रकरण मे दिनांक 15.09.2022 को प्रा0 डिक्री जारी की जाकर सरहद मौजा वीरावास पटवार हल्का हिंगावास तहसील सोजत के खाता संख्या 94 खसरा नंबर 277 रकबा 0.8900 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल कृषि भूमि का पक्षकारानो कि मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा कर विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार, सोजत को आदेशित किया गया। तहसीलदार सोजत को तहरीर पत्रांक/कोर्ट/2022/1079 दिनांक 22.09.2022 के जरिये लखा जाकर विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा चाहे जाने पर, तहसीलदार, सोजत ने पत्रांक/2023/1802 दिनांक 22.09.2023 द्वारा आरटी0 एक्ट एवं आर0टी0 (राज) नियम 1955 के नियम 18 से 21 अनुसार विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा प्रस्तुत किया, सा0मि0 है।

अधिवक्ता मय वादीया एवं प्रतिवादी तहसीलदार सोजत उपस्थित हुए। प्रस्तुत आर0टी0एक्ट0 एवं आर0टी0 नियम के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए प्रेषित किया। उपस्थित उभय पक्षों की उपस्थिति में तैयार किये गये विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा में की गई स्वीकारोक्ति/सहमति अनुसार तथा उभयपक्षों के अधिवक्तागण की दौराने बहस स्वीकारोक्ति की है। जिससे वादी का वाद माफिक विभाजन प्रस्ताव डिक्री किया जाना तथा वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य माफिक राजस्व रेकार्ड पक्षकारानों में उनके हक हिस्से एवं मौका स्थिति अर्थात विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शानुसार बंटवाड़ा किया जाकर खाता व लगान अलग–अलग अर्थात खसरा नम्बर, रकबा, किस्म व लगान अलग–अलग से निर्धारण किये जाने को आदेशित किया जाना उचित समझते है।

उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला–पाली

–: आदेश :–

अतः डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा वीरावास पटवार हल्का हिंगावास तहसील सोजत में खाता संख्या 94 खसरा नंबर 277 रकबा 0.8900 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल की भूमि खातेदारों के मध्य खसरा नम्बर, रकबा एवं लगान का निर्धारण निम्नांकित रूप से किया जाता है तथा नजरी नक्शे को निर्णय एवं डिक्री पर्चा का भाग बनाया जाता है –

क्र.स.	नाम खातेदार	ख0सं0	रकबा	किस्म	लगान रू0
1.	नतकी देवी पत्नि सोनाराम कौम घाची सा. रूपावास खातेदार	277	0.4450	बा0अ0	2.22
2.	पिस्ता देवी पत्नि सुकराराम कौम घाची सा. रूपावास खातेदार	277/1	0.4450	बा0अ0	2.23

उभय पक्षो को एक दुसरे के हक हिस्से में दखल अन्दाजी करने से जरिये स्थायी निषेधाज्ञा रोका जाता है। तहसीलदार सोजत उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं तरमीम कर पालना न्यायालय हाजा को प्रस्तुत करें। उक्तानुसार डिकी पर्चा मुर्तिब हो। इस निर्णय, डिकी पर्चा एवं विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति तहसीलदार सोजत को पालना हेतु तहरीर के साथ प्रेषित करके पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 04/10/2023 को सरे ईजलासं मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली